

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 205 / 3क(2)/वा0स्था0/2023-24/दिनांक 26/06/2023  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/140/XXXV(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25.05.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख)(सात) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध) के प्राविधानानुसार निम्नांकित तालिका के स्तम्भ -07 में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानान्तरित किया जाता है।

शाखा-महिला							
क्र.सं.	अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शुभ्रा जोशी	सामाजिक विज्ञान	रा0बा0इ0का0 रानीपोखरी	डोईवाला	देहरादून	रा0बा0इ0का0 सहिया, कालसी, देहरादून	उपलब्ध फलित रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-


- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकार्ये नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिवस के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून कार्यालय में प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (6) यदि उक्त स्थानान्तरणों में किन्ही दो शिक्षकों को एक ही विद्यालय में एक ही विषय के रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है तो उक्त स्थानान्तरण में से उसी शिक्षक का स्थानान्तरण मान्य होगा जो स्थानान्तरण अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पहली श्रेणी से हुआ हो तथा अन्य शिक्षक के सम्बन्ध में पृथक से आदेश पारित किये जायेंगे।
- (7) यदि किसी शिक्षक का स्थानान्तरण अटल उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ है तो संस्थाध्यक्ष किसी भी दशा में स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यभार ग्रहण/मुक्त न करें।

(महावीर सिंह बिष्ट)  
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./3204-17/3क(2)/वा0स्था0/2023-24/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया नियंत्रणाधीन एस.सी.ई.आर.टी. व डायट से स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपदान्तर्गत स्थित विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश की प्रति सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/ संस्थाध्यक्ष के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे व कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की सूचना संकलित कर दिनांक 05.07.2023 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- 7 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 8 सम्बन्धित प्राचार्य डायट।
- 9 सम्बन्धित कोषाधिकारी। (द्वारा सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष)
- 10 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी। (द्वारा सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष)
- 11 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना संकलित कर मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराये तथा तदनुसार सेवा विवरण विभागीय ई.पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें।
- 12 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदनकर्ता का स्थानान्तरण संगत श्रेणी/शाखा में हुआ है तदोपरान्त ही कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 13 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 14 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 15 कार्यालय प्रति।

  
(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।